

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम तोल्दी जमाबंदी सं. 2076 के खाता सं. 15 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/त्रुटीपूर्ण वुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतोनी खाता सं	भू प्रबंध खतोनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं	वर्तमान इन्द्राज/ वुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
		15	तेजुलाल पुत्र नाथलाल हिस्सा 1/6 जाति लुभार सा. 58 खोतेपर	तेजुलाल पुत्र नाथलाल हिस्सा 1/6 जाति लुभार सा. 58 खोतेपर

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. गोपाल पिता कंवरलाल जी निवासी तोल्दी
2. शिवरिंह पुत्र भगवानरिंह
3.
4.

हस्ताक्षर

गोपाल
शिवरिंह

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम तोल्दी के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज वुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

हस्ताक्षर पटवारी
प०म० तोल्दी

रिपोर्ट भूअभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज वुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

भूअभिलेख निरीक्षक
17/03/2025

रिपोर्ट तहसीलदार, पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/109

दिनांक: 17/03/25

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षण अनुसार ग्राम नेपड के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
17/03/25

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/39

दिनांक: 17.3.25

वादी/प्रार्थी के ग्राम नेपड के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार पिडावा की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल इरामद करें।



[Signature]
17/3/25
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)